बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय

पत्रांक ..../ पटना, दिनांक ....

सं0 सं0–5/उ0नि0ब0 (विविध/बजट) 02/2018

प्रेषक,

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी।
महाप्रबंधक, सभी जिला उद्योग केन्द्र, बिहार।
सहायक उद्योग निदेशक(लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।
सहायक उद्योग निदेशक(तकनीकी), तकनीकी विकास निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना।
वरीय लेखा पदाधिकारी, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना।
सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ (हस्तकरघा), राजेन्द्रनगर, पटना एवं सहायक निबंधक, बुनकर सहयोग समितियाँ, गुलजारबाग, पटना–800008
सहायक उद्योग निदेशक (कोटि नियंत्रण) कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर।
सहायक उद्योग निदेशक(रेशम), पूर्णिया, पटना, मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर।
उप विकास पदाधिकारी(वस्त्र), गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर।
प्राचार्य, बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान, नाथनगर, भागलपुर।
प्रबंधक, पोलिस्टर एवं सिल्क वस्त्र प्रशिक्षण–सह–उत्पादन केन्द्र, बरारी, भागलपुर।
परियोजना प्रबंधक, मलवरी–प्रसार–सह प्रशिक्षण केन्द्र, रानी पोखर, वैशाली/फरीदपुर, सिवान/मुशहरी, मुजफ्फरपुर/ढेकसार, किशनगंज/सहरसा/राघोपुर–बखरी, सीतामढ़ी /कुमारबाग, बेतिया/ लकड़ीकोल, बांका।
अग्र–परियोजना पदाधिकारी, इनारावरण कटोरिया, बांका/श्याम बाजार, बांका/गंगटामोड़, मुंगेर/ कौवाकोल, नवादा/अधौरा, कैमूर/तसर क्रय–विक्रय संगठन, बांका।

विषय : **विभागीय संकल्प संख्या 346, दिनांक 17.01.19 में संशोधन के संबंध में।**

प्रसंग :– **विभागीय आदेश ज्ञापांक 1140, दिनांक 23.02.19**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि विभागीय संकल्प संख्या 346, दिनांक 17.01.19 के द्वारा महाप्रबंधक को क्षेत्रीय कार्यालयों का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित किया गया है।

विभागीय आदेश ज्ञापांक 1140, दिनांक 23.02.19 के द्वारा पूर्व में निर्गत संकल्प को संशोधित करते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 तक जिला उद्योग केन्द्र में समाहित कार्यालयों के पूर्व के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को स्वीकृत राशि की निकासी करने हेतु अधिकृत किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के समाप्ति के पश्चात विभागीय संकल्प संख्या 346, दिनांक 17.01.19 स्वतः प्रभावी रहेंगा।

अतः अनुरोध है कि उक्त पत्र के आलोक में वेतन भुगतान संबंधी कार्रवाई की जाय।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/–
उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 1129/ पटना, दिनांक 26.2.19

प्रतिलिपि :– आई0टी0मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अनुलग्नक सहित अपलोड करने हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

1302 New Tall

(99)

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

आदेश

विभागीय संकल्प सं0–346 दिनांक 17–01–19 द्वारा विभाग के (निगम/बोर्ड/प्राधिकार सहित) सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को पद–बल सहित संबंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र के नियंत्राधीन किया गया है तथा इनके वेतनादि एवं अन्य की निकासी हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को अधिकृत किया गया है।

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के क्रम में जिलाा उद्योग केन्द्र में समाहित क्षेत्रीय कार्यालयों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को निर्गत स्वीकृत्यादेश/आवंटनादेश के कार्यान्वयन में हो रही कठिनाईयों के दृष्टिगत प्रसंगाधीन संकल्प के आलोक में जिला उद्योग केन्द्रों में समाहित कार्यालयों के पूर्व के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को स्वीकृत राशि की निकासी करने हेतु अधिकृत किया जाता है। यह व्यवस्था वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 तक हीं प्रभावी होगी। इसके बाद विभागीय संकल्प सं0–346 दिनांक 17–01–19 स्वतः प्रभावी रहेगा। विभागीय संकल्प सं0–346 दिनांक 17–01–19 इस हद तक संशोधित किया जाता है।

प्रस्ताव में प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(अनिल कुमार झा)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– 3(स०)/उ०स्था०(विविध)01/19 पटना, दिनांकः–

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– 1140 पटना, दिनांकः– 23.2.19

प्रतिलिपिः–सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्रबंध निदेशक, बियाडा/आयडा/बिसिको/बी0एस0आई0डी0सी0/बि0रा0 वित्तीय निगम/वस्त्र निगम/औषधि एवं रसायन निगम/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बि0रा0 खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–उद्योग निदेशक/निदेशक हस्तकरघा एवं रेशम/निदेशक तकनीकी विकास/निदेशक खाद्य प्रसंस्करण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सभी अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि इस आदेश के आलोक में कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र की यह व्यक्तिगत जवाबदेही होगी कि इस आदेश में निहित निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

सरकार के अवर सचिव

D:\Section-3\Pramod\Pramod-1.doc